संख्या–भा0स0143 / 14–2–2017–800 (49) / 2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2017**

विषय– रामपुर–केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0–20) किमी0 3.135 की बांयी पटरी पर ग्राम–पहाड़ी के गाटा सं0–140 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे0 सरंक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 34 / 2016 / एफसी / 185, दिनांक 28–7–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 28–7–2017 की छायाप्रति करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की अपेक्षानुसार सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।